निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 श्रावण 1935 (श0)

(सं0 पटना 583) पटना, बुधवार, 24 जुलाई 2013

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

11 मार्च 2013

सं0 2101—बांका जिलान्तर्गत अमरपुर प्रखंड के ग्राम धन्नीचक स्थित धनीधाम सद्भावना मंदिर (अवतरित शिवलिंग) पर्षद के तहत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–4141 है। इस मंदिर के संबंध में श्री पंकज कुमार मंडल उर्फ पंकज मंडल ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका सं0 17166/2009 दायर किया था। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.04.2010 के आदेश में बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद को इसमें समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया था तथा जिला प्रशासन से भी परामर्श करने को कहा गया था। इसके बाद पर्षद द्वारा अपने विधि अभिकर्त्ता से इसकी जांच करायी गयी । साथ ही पर्षदीय पत्रांक– 196, दिनांक 10.05.2010 द्वारा जिला पदाधिकारी, बांका से प्रतिवेदन मांगा गया । जिला पदाधिकारी ने पत्रांक– 751, दिनांक 25 जून, 2011 द्वारा सूचित किया कि उक्त शिवलिंग के प्रकट स्थल को धार्मिक न्यास पर्षद के अंदर लेकर घेराबंदी करा दी जाय ताकि भविष्य में किसी विवाद की संभावना नहीं हो। इसके बाद पर्षदीय पत्रांक–589, दिनांक 06.07.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी से उक्त कार्य के लिए प्राक्कलन भेजने का आग्रह किया गया और समाहर्त्ता, बांका के पत्रांक–06/0488/रा0 दिनांक 12.01.2012 द्वारा प्रेषित प्राक्कलन पर्षद को प्राप्त हुआ है। इस मंदिर का शिलान्यास भी दिनांक 28.01.2013 को सम्पन्न हुआ है और अब मंदिर निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो गया है।

उपर्युक्त परिस्थिति में धनीधाम सद्भावना मंदिर (अवतरित शिवलिंग) स्थल के समुचित प्रबंधन, मंदिर निर्माण, सम्यक् विकास के लिए योजना का निरूपण एवं न्यास समिति का गठन आवश्यक प्रतीत होता है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उप विधि संख्या– 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए धनीधाम सद्भावना मंदिर (अवतरित शिवलिंग) के सुचारू प्रबंधन, सुव्यवस्था तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसको मूर्त्त रूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''धनीधाम सद्भावना मंदिर (अवतरित शिवलिंग) न्यास योजना'' होगा और इसे मूर्त्त रूप देने के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''धनीधाम सद्भावना मंदिर (अवतरित शिवलिंग) न्यास समिति'' होगी।
2. धनीधाम सद्भावना मंदिर एंव इसकी समस्त चल–अचल सम्पत्ति के प्रबंधन, प्रशासन एवं संचालन का अधिकार न्यास समिति में निहित होगी।

3. इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मंदिर निर्माण, पूजा–अर्चना एवं समस्त धार्मिक आचारों को सुनिश्चित करना होगा। साथ ही वहां आपसी सौहदार्य एवं सद्भावना बनाये रखने को सर्वोच्य प्राथमिकता देना होगा।
4. न्यास की समग्र आय समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा और आवश्यकतानुसार निकासी कर व्यय किया जायेगा।
5. न्यास के खाते का संचालन अध्यक्ष अथवा सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।
6. न्यास के प्रबंधन/विकास के लिए दाताओं से प्राप्त होने वाली राशि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में उसे दर्ज कर बैंक खाता में जमा की जायेगी।
7. न्यास परिसर में दान–पात्र रखें जायेगें जिसमें चढ़ावे/दान की राशि डाली जायेगी और निर्धारित तिथि को न्यास समिति के दो सदस्यों की उपस्थिति में इसे खोलकर राशि की गणना एवं पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी।
8. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए न्यास की वार्षिक आय–व्यय विवरणी, बजट, कार्यवृत एवं पर्षद को देय शुल्क की राशि आदि का पर्षद को सम्यक् प्रेषण करेगी।
9. न्यास समिति का कोई सदस्य न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लाभ उठाते पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।
10. न्यास समिति न्यास की आय–व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखेगी।
11. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेगें । बैठको की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत से होगा।
12. न्यास समिति के सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा कोषाध्यक्ष लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।
13. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन, संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्त्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है :–

(1)	श्री प्रमोद यादव	–	अध्यक्ष
(2)	श्री विभीषण यादव	–	उपाध्यक्ष
(3)	श्री विकास यादव	–	सचिव
(4)	श्री देवेन्द्र यादव	–	कोषाध्यक्ष
(5)	श्री सुरेश यादव	–	सदस्य
(6)	श्री अनुपलाल	–	सदस्य
(7)	श्री मनोज यादव	–	सदस्य
(8)	श्री जयन्त यादव	–	सदस्य
(9)	श्री धनेश्वर मंडल	–	सदस्य
(10)	श्री दीप नारायण मांझी	–	सदस्य
(11)	श्री आनन्दी	–	सदस्य

सभी ग्राम– धन्नीचक कुमरखल, पो0– सोभानपुर कटोरिया, अंचल– अमरपुर, जिला– बांका।

यह योजना दिनांक 15.03.2013 से प्रभावी होगी और इसका कार्यकाल 05 वर्षो का होगा।

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 583-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in